



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड-ऑवला -बरेली।
मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
132 केवी0 सबस्टेशन, बरेली
ई-मेल eddaonlabry2018@gmail.com

नलकूप/पी0टी0डब्लू0
कार्यालय ज्ञापन

पत्रांक सं0-

दिनांक /05/2023

स्वीकृति नं0:-82/23-24/नलकूप/स्वी0मार

श्री/श्रीमती नत्थो पुत्र श्री कडे निवासी ग्राम पचतौर पो0 खास तह0 ऑवला जिला-बरेली ब्लॉक-आ0जा0 तह0 ऑवला जिला-बरेली (मोबाइल नं0-9027988591) से नलकूप/पम्पसेट कनेक्शन हेतु **7.5 HP/120W** एतदद्वारा, निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है:-

- 02- लाईट का प्रयोग केवल पम्प हाऊस मे ही किया जायेगा तथा उसके लिए 120 वाट क्षमता के अधिकतम बल्ब प्रयोग किये जा सकेंगे। इससे अधिक बल्ब लगाने पर सप्लाई बिना नोटिस के काटी जा सकती है तथा अन्य कार्यवाही की जा सकती है।
- 03- निजी नलकूप/पम्पसेट पूर्व निर्मित अथवा निर्माणाधीन नहर से 50 मीटर अन्दर नही लगाया जायेगा।
- 04- जिस ट्रॉसफार्मर से किसी राजकीय नलकूप की विद्युत दी जा रही है अथवा दी जाने वाली है किसी भी निजी/पम्पसेट को कनेक्शन नही दिया जायेगा।
- 05- नलकूप/पम्पसेट प्राकलन (स्टीमेट) कृषक का बोरिंग होने पर ही बनाया जायेगा।
- 06- प्राकलन शुल्क रूपये 100/- आवे0नं0 1008269227 दिनांक 04.05.2023 को जमा की गई।
- 07- उपरोक्त स्वीकृति योजना- सम्पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

उपरोक्त संयोजन स्थल यदि नगरनिगम/नगर पालिका/परिषद आदि के अन्तर्गत स्थित है तो प्राक्कलन तदानुसार टैरिफ के अन्तर्गत बनायें।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक सं0-

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड ऑवला/अलीगंज/बरसेर को इस आशय के साथ प्रेषित की गई है कि वह 03 दिन के अन्दर अनुमानित व्यय पत्र लगाकर इस कार्यालय को दें।
- 02- सम्बन्धित अवर अभियन्ता के सर्वे तथा स्टीमेट प्रेषित करने के लिए।
- 03- मानचित्रक विद्युत वितरण खण्ड, ऑवला।

अधिशासी अभियन्ता

